[भारत के राजपत्र,असाधारण,के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 23rd नवंबर, 2017

अधिसूचना
सं० 27 /**2017 – केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (गै.टे.)**

सा.का.नि.___ (अ). - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार, एततद्वारा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्न लिखित नियम बनाती है, यथा:-

1. (1) इन नियमों को केंद्रीय उत्पादशुल्क (अपील) संशोधन नियमावली, 2017.कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 में, नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

" 10 (1) पुनरीक्षण के लिए आवेदन को ईए-8 फार्म में, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकार क्षेत्र के अनुसार अधिकार क्षेत्र वाले प्रधान आयुक्त (पुनरीक्षण प्राधिकारी) के यहां दायर किया जाएगा:-

क्रम सं० . (1)	कार्यालय (2)	आयुक्त (अपील) के आदेश (राज्य-वार & संघ-राज्य वार) के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई का अधिकार-क्षेत्र (3)
1	प्रधान आयुक्त (आर ए) और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार- **दिल्ली**	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, ओडिशा, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा
2	प्रधान आयुक्त (आर ए) और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार- **मुंबई**	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।

2. बोर्ड ऐसे पते, फोन नंबर तथा अन्य ब्यौरों को आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट करेगा तथा जिसकी संशोधनकर्ता प्राधिकारी के साथ पत्र व्यवहार के लिए आवश्यकता हो।

3. उपनियम (1) के तहत पंजीकृत डाक से भेजे गए पुनरीक्षण आवेदन को उक्त प्रधान आयुक्त (आरए) के पास उस तारीख को जमा किया गया समझा जाएगा, जिस तारीख को यह ऐसे अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। "

[फा. सं. 116/33/2017-सीएक्स 3]

(शंकर प्रसाद शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना सं. 32/2001-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 जून, 2001 को सा.का.नि. 446 (अ), दिनांक 21 जून, 2001 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 23/2014- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 6 अगस्त, 2014 सा.का.नि. 566(अ), दिनांक 6 अगस्त, 2014 के माध्यम से संशोधन किया गया था।